

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>डॉ राजेन्द्रसिंह भाटी बनाम लो.सू.अ. ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 233 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.12.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र फतेहसिंह पता भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चूरू (राज.) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.09.2019 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय के द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने से पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक- प 12(3)राजस्व/वा.रूपा/(13)/19/5110-11 दिनांक 16.08.19 पर श्रीमती प्रीति चौधरी पत्नी खुशालाराम चौधरी के द्वारा आज दिनांक 12.09.19 तक दिये गये प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत किये गये जबाब की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

